चुनाव परिणाम पर गुजराती समाज ने मनायी खुशियां

जमशेदपुर. गुजराती सनातन समाज के सदस्यों ने बिष्टुपुर स्थित समाज प्रांगण में पांच राज्यों में चुनाव के परिणाम पर खुशी मनायी. पूर्व सांसद आभा महतो , जयेश भाई अमीन, हर्षद भाई पटेल, किरीटी भाई आडेसरा, हरेश भाई ओजा, दिनेश पाटरिया, दिनेश भाई परीक मौजूद थे.

JHARKHAND STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
1st Floor, Jharkhand State Housing Board (Old Headquarter)
Harmu Housing Colony, Ranchi-834002
Website: www.jserc.org Email: info@jserc.org

Advertisement No. - 01/2026 Date - 05.04.2026

NOTICE

Jharkhand State Electricity Regulatory Commission needs to appoint **Third Member (Independent) for the Consumer Grievance Redressal Forum of Tata Steel Limited at Jamshedpur and Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited at Medininagar.** The details of the posts, age, tenure, pay etc. are available on the website of the Commission at www.jserc.org/thirdmember.pdf . The interested candidates, who fulfil the criteria and are willing for the above post, may apply through registered/speed post only, so as to reach latest by **08.06.2026**

By Order of the Commission
Sd/- (Rajendra Prasad Nayak)
Secretary

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI
5TH FLOOR, PRAGATI SADAN (RRDA BUILDING), KUTCHERY CHOWK, RANCHI - 834001
O.A. No. 637 of 2025

BETWEEN
ICICI BANK LTD. ...APPLICANT BANK
V/S.
ROHIT AGARWAL ...DEFENDANTS

SUMMONS ISSUED UNDER RULE 23 (VIII) OF THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993

SR No.	DEFENDANTS	ADDRESSS
1.	ROHIT AGARWAL, S/O RAMESH AGARWAL	BUNGLOW NO. 104, VIJAY HERITAGE, 6TH PHASE MARINE DRIVE KADMA, NEAR MARINE DRIVE, EAST SINGHBHUM - 831005.

Whereas, the Applicant has instituted an Application u/s 19 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 against the Defendants for Recovery of sum of Rs. 36,12,209.00/- (Rupees Thirty Six Lakh Twelve Thousand Two Hundred Nine Only) together with current and future interest, cost for other reliefs. The above mentioned Defendants is/are therefore directed to appear before Registrar in on 15th day of June, 2026 at 10.30 A.M. as to why the reliefs prayed for should not be granted and to file show cause in the matter. The notice that in case of default, the application will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 22nd day of April, 2026.

Registrar

बिहार सरकार

न्यायालय, आनन्द कुमार गुप्ता, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा

-: अति आवश्यक सूचना :-

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम– 2016 की धारा 56 के प्रावधानों के तहत् देशी / विदेशी शराब से जप्त वाहन मालिकों / हितबद्ध व्यक्तियों के बजरिये न्यायालय नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्पाद थाना कांडों में जप्त वाहनों का अधिहरण / प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, नवादा / अधीक्षक, मद्यनिषेध, नवादा के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप उत्पाद अधिग्रहणवाद प्रारंभ किया जाता है।

नव संशोधित नियमावली 2022 के नियम 12(क)(2) में निहित उपबंधों के आधार पर नवीनतम् बीमाकृत शास्ति (penanlty) की राशि जमा कर वाहन मुक्त कराना चाहतें हो तो प्रथम सुनवाई की तिथि अथवा द्वितीय सुनवाई की तिथि को प्रपत्र *IV* में अपना आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करें अन्यथा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त वाहनों को राजसात की कार्रवाई हेतु आदेशित कर दिया जायेगा।

क्र0	वाद संख्या	उत्पाद थाना काण्ड सं0	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन संख्या	इंजन संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता	प्रथम सुनवाई की तिथि	द्वितीय सुनवाई की तिथि
1.	81A/26	492/25	SPLENDOR PLUS MOTORCYCLE	BR02BJ4313 (Real No. JH12M0277)	HA11EVLHK C8056	धनेष्वर सिंह, पिता–गोपाली सिंह, पता:–भोन्डो, पो0–चन्दवाड़ा थाना–चन्दवाड़ा, जिला–कोडरमा, राज्य–झारखंड	14.05.26	21.05.26

अतः वाद में अंकित वाहन स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति जिसका कोई हित निहित हो निर्धारित समय–सीमा के अन्दर स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाहन के मालिकाना हक से संबंधित दावा / पक्ष व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। अनुपस्थित होने पर यह समझा जायेगा कि उक्त वाहन से आपको कोई सरोकार नही है। तत्पश्चात् उक्त जप्त वाहन को सुनवाई के उपरान्त बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत राजहित में अधिहरण कर लिया जायेगा।

इसे सख्त ताकिद जाने।

पीठासीन पदाधिकारी,(उत्पाद)
–सह–
अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा

PR. No. 002309 (District) 2026-27

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

कार्यालय :– अभिहित अधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
Add.:- District Food & Drug Control Office, Madhubazar, Chaibasa, West Singhbhum

fssai

प्रेस विज्ञप्ति
सड़क किनारे भोजन बेचने वालों (Street Food Vendors) एवं फल विक्रेताओ के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी दिशा–निर्देशा।

1. खाद्य प्रतिशठानों में FSSAI License/Registration No. का प्रमाण–पत्र परिसर के प्रमुख स्थान पर दर्शाना सुनिश्चित करेंगे।
2. सफाई, धुलाई एवं खाद्य सामग्री बनाने में स्वच्छ पेयजल (Potable Water) का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
3. खाद्य पदार्थों का निर्माण करते समय सभी कर्मियों के द्वारा Handgloves, Apron, Hairnet (बाल ढ़कने का टोपी) एवं Mask आदि का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही खाद्य परिसर का समुचित साफ–सफाई रखना सुनिश्चित करेंगे।
4. सभी खाद्य संचालकों को व्यक्तिगत स्वच्छता यथा साफ कपड़ा पहनना, नाखुन कटा होना, काम शुरू करने से पहले व शौचालय के उपयोग के बाद हाथ साबुन से धोना सुनिश्चित करेंगे।
5. खाद्य समाग्री बनाने के लिए गुणवत्ता युक्त कच्ची समाग्री का इस्तेमाल सुनिश्चित करेंगे। बासी या सड़ा–गला खाद्य सामग्री का इस्तेमाल न करें। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में License no., निर्माण की तिथि, expiry date इत्यादि के बिना क्रय–विक्रय करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत दण्डनीय अपराध है। निरीक्षण के क्रम में अज्ञात स्त्रोत से प्राप्त सामग्रियों को जाँच कर, जप्त एवं नशट करते हुए कार्रवाई की जा सकती है।
6. सभी खाद्य कारोबारी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित एवं अत्याधिक आकर्शक बनाने एवं रखने के लिए अवांछित केमिकल एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाले अखाद्य / औद्योगिक रंग (जैसेः–चंपई / गायछाप) का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही FSSAI द्वारा प्रमाणित Food colour का मिठाईयों में उपयोग तय मानक के अनुरूप ही करेंगे।
7. वेडिंग कार्ट (ठेला) की सतहें जो भोजन या बर्तन के सम्पर्क में आती है वे ठोस, जंग रोधी सामग्री से बनी होनी चाहिए और उसे साफ व अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए।
8. खाना पकाने के बर्तन और क्रॉकरी साफ और अच्छी होनी चाहिए तथा काम खत्म होने पर धोकर सुखाया जाना चाहिए ताकि फफूंद या कीड़े न पनपें।
9. तले भुने हुए गर्म खाद्य पदार्थों जैसे–समोसे, पकौडे, जलेबी, कचोरी, वड़ा, ढुसका आदि को अखबार, प्रिन्टेंड पेपर एवं नॉन–फुड ग्रेड प्लास्टिक / पॉलिथीन में नहीं बेचना चाहिए। जाँच के क्रम में पाये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
10. हर उपयोग के बाद बर्तनों को साफ करना चाहिए, बर्तनों को पोछने के लिए साफ कपड़े का उपयोग होना चाहिए। हाथ पोछने, सतह साफ करने और फर्श साफ करने के लिए अलग–अलग कपड़ो का उपयोग करें।
11. भोजन केवल दिन की आवश्यकता के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए ताकि बचा हुअ भोजन अगले दिन उपयोग नकरना पड़े। बचे हुए सामान को तुरंत रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए।
12. खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए पर्याप्त रैक होने चाहिए, जिन पर प्रत्येक वस्तु की स्पशट पहचान हो। शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं के लिए अलग कंपार्टमेंट होने चाहिए ताकि वे आपस में न मिलें।
13. कूड़ेदान का ढक्कन टाइट होना चाहिए और उसे हर रोज निर्धारित स्थान पर खाली करके साफ करना चाहिए।
14. फ्रिज को सप्ताह में कम से कम एक बार साफ करना चाहिए। फ्रिज का तापमान 4°C से 6°C के बीच होना चाहिए।
15. वेंडिंग यूनिट का स्थान स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और यह यातायात या पैदल चलने वालों के रास्ते में या अस्वास्थ्यकर स्थानों के पास नहीं हाना चाहिए।
16. फलों को पकाने के लिए केल्सियम कार्बाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम

अभिहित अधिकारी–सह–
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

PR 379041 (West Singhbhum)26-27*D

करनडीह. रास्का फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग

संताली भाषा को विकसित व समृद्ध बनाने का संकल्प

बिष्टुपुर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में सिने अवॉर्ड समारोह 9 मई को

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

करनडीह जाहेरथान में संताली फिल्म देखते लोग .

करनडीह स्थित दिशोम जाहेरथान में मंगलवार को रास्का फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित छह फिल्मों की पब्लिक स्क्रीनिंग की गयी. चयनित फिल्म बारया मोने, आते-आते, किसाड़ बोंगा, सुंतू गुतुज, सारी दुलाड़ व जिवी चालाः रेहों की पब्लिक स्क्रीनिंग की गयी. इन फिल्मों को देखने के लिए करनडीह, सरजामदा, कदमा, मानगो, बिरसानगर, नरवा, जादूगोड़ा, राजनगर समेत अन्य जगहों से सैकड़ों दर्शक पहुंचे थे. दर्शकों ने संताली फिल्मों का खूब आनंद लिया. पब्लिक स्क्रीनिंग से पूर्व ओलचिकी के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी तसवीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गयी. इस दौरान उपस्थित संताल समाज के लोगों ने संताली भाषा और उनकी लिपि ओलचिकी को समृद्ध व विकसित बनाने का संकल्प लिया. पब्लिक स्क्रीनिंग के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वे अपनी मातृभाषा संताली को बोलने में गर्व महसूस करते हैं. संताली भाषा वर्तमान समय में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा है. इस लिहाज से यह आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक है. इसलिए समाज के हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा संताली पर गर्व महसूस करना चाहिए. रास्का के निदेशक शंकर हेंब्रम ने बताया कि रास्का का 14वां राष्ट्रीय संताली फिल्म समारोह 1 से 9 मई तक विभिन्न चरणों में आयोजित किया जा रहा है. इस क्रम में पांच मई को पब्लिक स्क्रीनिंग की गयी. अब 9 मई को सिने अवॉर्ड समारोह का आयोजन माइकल जॉन ऑडिटोरियम में होगा. सिने अवॉर्ड समारोह में बेस्ट फिल्म, बेस्ट अभिनेता-अभिनेत्री, बेस्ट निर्माता-निर्देशक सरीखे पुरस्कार का वितरण रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में होगा.

याद किये गये सिख जरनैल जस्सा सिंह

जमशेदपुर. सिखों की सामाजिक संस्था रामगढ़िया सभा की ओर से बिष्टुपुर गुरुद्वारा में पंथिक मर्यादा के अनुसार महान सिख जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़िया की 303 वीं जयंती मनायी गयी. श्री अखंड पाठ का भोग डाला गया. कीर्तन और अरदास के उपरांत गुरु का लंगर का आयोजन हुआ. मौके पर विशेष तौर पर पहुंचे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार ज्योति सिंह मठारू ने कहा कि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास और विरासत है. जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व में 11 मार्च 1783 में मुगल बादशाह आलम को हराकर दिल्ली फतह किया गया और वहां खालसा निशान फहराया गया. ट्रस्टी शैलेंद्र सिंह, प्रधान केपीएस बंसल, संतोख सिंह संधू, सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे, बाबा विक्रम सिंह आदि ने इतिहास की जानकारी दी. किस तरह से जस्सा सिंह रामगढ़िया लाल किले के 40 स्तंभ, चार तोप और तख्त ए ताउस के आधार को उखाड़ कर अमृतसर ले जाकर वहां दरबार साहब स्वर्ण मंदिर के हजूरी में प्रस्तुत किया था. संचालन महासचिव ताजबीर सिंह कलसी ने किया. सभा की ओर से प्रधान केपीएस बंस ने ज्योति सिंह मठारू को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. मौके पर ट्रस्टी अमरदीप सिंह, पूर्व ट्रस्टी जसवीर सिंह संधू ,उपाध्यक्ष सतविंदर सिंह बब्बू उपस्थित रहे. कांग्रेस जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह भी मौजूद थे.

रजक समाज की बैठक में छात्रों को प्रोत्साहित करने पर हुई चर्चा

जमशेदपुर. जमशेदपुर रजक समाज केंद्रीय कमेटी की बैठक मंगलवार को नॉर्थन टाउन सीएच एरिया, सोनारी में हुई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष अजय रजक ने की. बैठक में समाज के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने पर विचार किया गया. बैठक के दौरान समाज के वैसे विद्यार्थी जो, दसवीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर करेंगे उनके लिए सम्मान समारोह किया जायेगा. बैठक में डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती के सफल आयोजन पर समीक्षा की गयी. मौके पर संजय कुमार रजक को सम्मानित किया गया. संजय कुमार रजक को हाल ही में सोनारी भापजा मंडल का महामंत्री बनाया गया है. मौके पर विभिन्न शाखाओं के सदस्य व अन्य लोग मौजूद थे.

दक्षिण पूर्व रेलवे - निविदा

निविदा सूचना संख्या: एमईसीएचसीकेपी-26-27-06, दिनांक: 01.05.2026। भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), चक्रधरपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे निम्नलिखित कार्य के लिए दो लिफाफा प्रणाली के अधीन ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। इस निविदा के तहत मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मैनुअल प्रस्ताव के प्राप्त होने पर उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा। **कार्य का नाम:** दो वर्षों के लिए स्वच्छ ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) योजना के अधीन राउरकेला स्टेशन पर मार्ग की निर्धारित ट्रेनों के कोचों की यांत्रिक सफाई। **निविदा मूल्य:** ₹ 7,94,23,482.28। **बोली प्रतिभूति:** ₹ 5,47,100। **निविदा प्रपत्र की कीमत:** ₹10,000। **निविदा खुलने का स्थान:** वरिष्ठ डीएमई/ चक्रधरपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का कार्यालय। **निविदा बंद होने की तारीख और समय:** 25.05.2026 को अपराह्न 3:00 बजे। निविदा वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदादाता/बोलीदाताओं के पास क्लास-III डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र अवश्य होना चाहिए और उन्हें आईआरईपीएस पोर्टल के अधीन अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। सिर्फ पंजीकृत निविदादाता/बोलीदाता ही ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ई-निविदा में भाग लेते समय सभी सम्बंधित कागजात अवश्य अपलोड करने होंगे।

(PR-122)

सुन्नत मर्कजी उर्स कमेटी की शाखा कमेटियां गठित

जमशेदपुर. कायदे अहले सुन्नत मर्कजी उर्स कमेटी के तत्वावधान में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शाखा कमेटियों का गठन किया गया. इसमें धातकीडीह, शास्त्रीनगर, टेल्को विशेष रूप से शामिल हैं. मर्कजी कमेटी के कर्मठ सदस्यगण सिलवर जुबली उर्स कार्यक्रम के लिए अपनी कारगुजारियों पर अमल कर रहे हैं. कमेटी के महासचिव मौलाना अबरार कैसर व संयोजक गुलाम शरानी के साथ साथ मदरसा फैजुल उलूम के प्राचार्य मौलाना अब्दुल हन्नान रिजवी भी अपने इस मिशन पर जुटे हुए हैं. धातकीडीह में आयोजित होने वाले सिलवर जुबली उर्स कार्यक्रम में डॉ गुलाम जरकानी कादरी अमेरिका से पधारेंगे. मस्जिदे कंजुल इमान जाकिरनगर, कपाली, गोलमुरी, जुगसलाई सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शाखा उर्स कमेटियों के गठन का कार्य जारी है.

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER
Rural Works Department, Works Division Chaibasa
Short Notice inviting e-Quotation (NIQ)
Notice No. 01/RI/2026-27/RWD/EE/CBSA

Government of Jharkhand through its Public Works Department (PWD) is engaged in framing/Revision of Schedule of Rates and as part of this endeavour, quotations through e-tender/quotation are invited for Rate of Materials annexed as Annexure-1 for Construction Works from Quarry Owners/Crusher Owners/ Reputed Manufacturer/Authorized Dealers/ Suppliers and other Stakeholders authorized for respective items having valid GSTIN of materials. The rates conforming to specifications for inclusion in the Schedule of Rates for Government of Jharkhand to be used in different Civil Construction/ Infrastructure Works and Repair Works shall be submitted online in the website http://Jharkhandtenders.gov.in. Details of material and its Specifications are available on the above e-tender portal. The quotationer may download the documents from the website and quote their rate of materials online from 08.05.2026 at 11:00 AM to 15.05.2026 at 05:00 PM. The quotation will be opened on 16.05.2026 at 05:00 PM.
The quotation is invited to ascertain and assess the Rate of Materials at par with lowest market rate for framing of Schedule of Rate.
Terms and Condition :-
1. The quotationer shall submit basic rate of material which will be inclusive of Royalty and other taxes but exclusive of GST, Overhead Charges and Contractor's Profit. Rate are at source i.e. Quarry/ Crusher Plant.
2. The Make and Specifications of various materials shall be governed by the relevant Indian Standard (IS) Codes, Indian Roads Congress (IRC) Codes and Specifications as issued by Central Public Works Department (CPWD)/Concerned Department of Government of India and Circulars issued by MoRTH.
3. Quotationer may quote rate for all of the Materials/Part of the Material for which they are Concerned.
4 Manufacturers/ Producers or their authorised dealers shall quoted their rate for material which is actually manufactured/produced/procured by them and the rate quoted for other materials shall not be acceptable.
5. The quotationer shall quote latest and authentic rate which shall reflect market rate.
6. The quotationer should have necessary Portal enrolment with their own digital signature Certificate.. Quotationers without necessary portal enrolment with their digital signature may quote their rate by uploading in the website, however they have to submit hard copy of the same duly signed along with necessary documents in the concerned division.
7. The rate quoted by quotationer shall be firm and final.
8. The quotationer shall furnish GST registration no., PAN card.
9. The undersigned reserves the right to accept or reject/cancel any or all quotations without assigning any reason thereof.
10. For any query or clarification you may Contact Mob 8877110434

Executive Engineer
RWD,Works Division
Chaibasa

PR 379080 West Singhbhum (26-27)_D

Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited
(CIN: U40108JH2013SGC001704)
Office of the Dy. General Manager, Transmission Circle, Chaibasa
Tata By-Pass Road, Sikursai, Chaibasa, District-West Singhbhum,
Pin- 833201 email id: tccbsa.jseb@gmail.com

Short Tender Notice

Sealed short tender in two parts i.e. Techno commercial (Part-I) and Financial (Part-II) are invited from reputed, experienced, capable and financially sound agencies/contractorsfor the following works: -

Sl. No.	NIT No.	Description of Work	Estimated Cost inclusive of GST &LabourCess (inRs.)	Earnest Money Deposit (inRs.)	Cost of Tender including GST (Non Refundable) (inRs.)
1	106/PR/JUSN/ 2026 –27	Work for carryingout patrolling, routine/Preventive, breakdown/shutdown maintenance etc. of Transmission Line under jurisdiction of Transmission Sub-DivisionChaibasa-I (Ulijhari) for the period from 01.06.2026 to 31.03.2027 (i.e. 304 days).	9,20,564.00	19000.00	1476.00
2	107/PR/JUSNL/2026 – 27	Work for carrying out patrolling, routine/Preventive, breakdown/shutdown maintenance etc. of Transmission Line under jurisdiction of Transmission Sub-Division Chaibasa-II (Sikursai) for the period from 01.06.2026 to 31.03.2027 (i.e. 304 days).	9,09,298.00	19000.00	1476.00
3	108/PR/JUSNL/2026 – 27	Work for carrying out patrolling, routine/Preventive, breakdown/shutdown maintenance etc. of Transmission Line under jurisdiction of Transmission Sub-Division Goilkerafor the period from 01.06.2026 to 31.03.2027 (i.e. 304 days).	8,85,781.00	18000.00	1476.00
4	109/PR/JUSNL/2026 – 27	Work for carrying out patrolling, routine/Preventive, breakdown/shutdown maintenance etc. of Transmission Line under jurisdiction of Transmission Sub-Division Manoharpur for the period from 01.06.2026 to 31.03.2027 (i.e. 304 days).	9,35,430.00	19000.00	1476.00
5	110/PR/JUSNL/2026 – 27	Work for carrying out patrolling, routine/Preventive, breakdown/shutdown maintenance etc. of Transmission Line under jurisdiction of Transmission Sub-Division Noamundi for the period from 01.06.2026 to 31.03.2027 (i.e. 304 days).	9,37,468.00	19000.00	1476.00

Start date and time for sale of tender documents/bid	06.05.2026 from 14:00 hrs
End date and time for sale of the bid	20.05.2026 up to 14:00 hrs
Enddateandtimefor receipt of the Bid	20.05.2026 up to 15:00 hrs
Bid opening date for technical part-I	21.05.2026 at 16:00 hrs
Bid opening date for price part-II	It will be communicated later on.
Tendering officer, address for communication and submission of tender documents	Dy. General Manager, Transmission Circle, Chaibasa,Tata By-Pass Road, Sikursai, Chaibasa, District-West Singhbhum, Pin- 833201.

1. Tender documents with detail terms and conditions can be obtained from office of the "Dy. General Manager, Transmission Circle, Chaibasa" after deposit of cost of BOQ in the favourof "Manager (F&A), Transmission Circle, Chaibasa Payable at Chaibasa" in the form of D.D. issued by any nationalized / scheduled Bank on any working day after the date of publication of tender in Newspapers.
2. For any details/clarification required in this regard, please contact Mobile No-**8092901147.**
3. The undersigned reserves the right to extend the date of sale/ submission / opening of part-I or reject any / all tenders without assigning any reason thereof.

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचावें। कृपया अपनी शिकयतों को 18003456570(कॉल सेन्टर) पर दर्ज करायें।

Sd/-
Dy. General Manager
Transmission Circle, Chaibasa

PR 379048 Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd(26-27).D

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली विभाग (ARD)
जमशेदपुर क्षेत्र, द्वितीय तल, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मेन रोड
बिष्टुपुर, जमशेदपुर – 831001
ई–मेल : ARD.Jamshedpur@bankofindia.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना
ई–नीलामी की तिथि : 26.05.2026

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना । एतद द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणियों तथा सह–ऋणियों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न वर्णित बंधक / प्रभारित सम्पत्तियों जो **बैंक ऑफ इंडिया** सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने सांकेतिक कब्जे में लिया है, इसकी ''ई–नीलामी'' द्वारा '"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है''के आधार पर **बैंक ऑफ इंडिया** सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि वसुली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन जमा राशि (EMD) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	(ए) सुरक्षित ऋणदाता का नाम एवं पता (बी) ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ	बकाया राशि	1. आरक्षित मूल्य 2. अग्रधन जमा राशि (EMD) 3. बोली वृद्धि राशि
1.	(ए) बैंक ऑफ इंडिया, आजाद नगर शाखा (बी) श्रीमती अपर्णा घोष पत्नी संजय कुमार घोष, निवासी: शक्ति भवन, डिमना रोड, जमशेदपुर, मानगो, एसबीआई बैंक के समीप, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड – 831012 वर्तमान पता – फ्लैट संख्या 5 सी, पांचवी मंजिल, ''निशान रेजिडेंसी'' टीचर्स कॉलोनी, मानगो, थाना–मानगो, थाना सं० 1642, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड–831012	''निशान रेजिडेंसी'' में स्थित समतुल्य बंधक फ्लैट संख्या 5 सी, 5वीं मंजिल, क्षेत्रफल 1398 वर्ग फुट, साथ ही 90 वर्ग फुट पार्किंग स्थान, जो मौजा मानगो, पुलिस स्टेशन मानगो, थाना संख्या 1642, प्लॉट संख्या 2382 और 2383 जो खाता संख्या 410 और 216 के अंतर्गत जिला उप–रजिस्ट्री कार्यालय जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम में दर्ज है। चौहद्दी: उत्तर में – फ्लैट संख्या 5बी, दक्षिण में – खुला स्थान और अन्य प्लॉट, पूर्व में – सड़क और खुला स्थान, पश्चिम में – फ्लैट संख्या 5 डी.	रू. 36,55,164.55 (रूपये छत्तीस लाख पचपन हजार एक सौ चौंसठ एवं पैसे पचपन मात्र) एवं देय ब्याज तथा बैंक को देय अन्य खर्चे	1. आरक्षित मूल्य रू. 30,78,000.00 2. अग्रधन जमा राशि रू. 3,07,800.00 3. बोली वृद्धि राशि रू. 10,000.00

सह–ऋणी: श्री संजय कुमार घोष, पुत्र अनिल बरण घोष, फ्लैट संख्या 1, गीता अपार्टमेंट, पुरूलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर, जिला – पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड – 831012
वर्तमान पता – फ्लैट संख्या 5 सी, पांचवी मंजिल, ''निशान रेजिडेंसी'' टीचर्स कॉलोनी, मानगो, थाना–मानगो, थाना सं० 1642, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड–831012

नीलामी ऑनलाइन पोर्टल https://www.baanknet.in के माध्यम से होगी
ई–नीलामी की तिथि और समय : दिनांक 26.05.2026, समय : सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक 10 मिनट असीमित समय विस्तार के साथ
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 25.05.2026, शाम 5:00 बजे तक, संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय : शाखा अधिकारियों से परामर्श लेने के बाद दिनांक 25.05.2026 को या उससे पहले

नियम एवं शर्तें : 1. बिक्री की विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिए गए लिंक **https://www.bankofindia.bank.in** और **https://www.baanknet.in** को देखें। 2. सफल बोलीदाता को बिक्री राशि का 25% राशि (EMD जमा राशि को जोड़कर) तुरंत उसके पक्ष में बिक्री स्वीकृत होने पर जमा करना होगा। शेष 75% राशि 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी, अगर इस दौरान वह राशि जमा करने में असमर्थ होता है तो बिक्री रद्द हो जायेगी और उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें : **बीओआई ARD जमशेदपुर : श्री बिमल प्रसाद सिंह** – मोबाईल नंबर 8451805554 या **श्री चन्द्र कांत** – मोबाईल नंबर 9426827987 या **मोना प्रीयादर्शी** – मोबाईल नंबर 7903651317.

नोट : यह ऋणी और जमानतदारों के लिए भी एक सूचना है।

दिनांक : 05.05.2026, स्थान : जमशेदपुर
नोट : त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया